न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 58 / 2026 बउनवानी राकेश कुमार शर्मा **बनाम** तहसीलदार गंगापुर सिटी
पुत्र श्री रामस्वरूप, निवासी रघुनाथ जी के मंदिर के पीछे मुनीम पाडा वार्ड नम्बर 18 गंगापुर सिटी

GCMS No-2026/109

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
24.4.2026	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 13.11.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर "**विरासत सर्टिफिकेट आदेश दिनांक 16.6.1923 मे लिखी हुई भूमि 25 बीघा वाके कस्बा गंगापुर सिटी, 15 बीघा वाके मौजा सालोदा, 7 बीघा वाके मौजा महुँकला, इस तरह कुल 15 बीघा चाही एवं 21 बीघा बारानी की जमाबन्दी की प्रमाणित सूचना।** "तहसीलदार गंगापुर सिटी से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक / आरटीआई / 2026 / 543 दिनांक 10.4..2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 13.11.2025 मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण यथा ख0न0, खाता संख्या, खातेदार का नाम, सम्वत् इत्यादि अंकित नही किये जाने से चाही गयी सूचना अपीलान्ट को दिया जाना सम्भव नही है। अपीलान्ट द्वारा लिखित आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि पटवारी हल्का द्वारा चाही गयी सूचना (सूचना का पूर्ण विवरण) प्रार्थी के पास उपलब्ध नही है। अतः तहसीलदार गंगापुर सिटी को उक्तानुसार वाछित सूचनाऐ उपलब्ध करवाने बाबत निर्देशित किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 13.11.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने से चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व मे उक्त संबंध मे एक अपील पेश की गयी थी जो न्यायालय हाजा मे अपील संख्या 21 / 2026 पर दर्ज रजिस्टर की जाकर दिनांक 18.2.2026 को खारिज की जा चुकी है। चूंकि चाही गयी सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही है इसलिए उक्त सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध नही करवायी जा सकती है। ऐसी स्थिति मे अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत यह अपील भी खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner